न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 मोयाराम पुत्र श्री किस्तुराराम कौम भील, ग्राम जुंजाणी, तहसील भीनमाल व जिला जालोर		1 नारणा पुत्र श्री भूपा जाति भील ग्राम जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक:– 06/10/22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/2016 बउनवान नारणा बनाम भमरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जुजाणी तहसील भीनमाल के खसरा नंबर 683 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 682 की भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट की कब्जा काश्त आराजीं खसरा नम्बर 682 में अपीलाण्ट के मकान बने है, जिसमें अपीलाण्ट का रहवास है। रेस्पोडेण्ट की खातेदारी में आवागमन हेतु पुश्तैनी वैकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा की तरफ डामर सड़क जो जुजाणी से आती है के लगते बलवन्त सिंह के खेत में से चलता है। जो आज भी मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट द्वारा उपरोक्त हालातो से परे जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाला–बाला कार्यवाही सम्पादित करवाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर में राजीनामा होने का तथ्य विघमान होने की सुरत में ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। मेरिट पर पक्षकारान या उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जवाब बंद करना बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया जाना न्याय के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं समुचित जांच किये बिना, मौका रिपोर्ट को अनदेखा कर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जुजाणी तहसील भीनमाल के खसरा नंबर 683 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 682 की भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार भीनमाल से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट में रेस्पोन्डेट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 683 में जाने हेतु रेकर्ड में कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने हेतु खसरा नंबर 682 दिया गया रास्ता ही नजदीक से नजदीक है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में आने का नहीं होना अंकन है। रेस्पोडेन्टगण के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट की आराजी राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज है, जिससे उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज करावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जुजाणी तहसील भीनमाल के खसरा नंबर 683 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 682 की भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी जैर अपील आदेश का विधिक परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का आद्योपंत परीक्षण किया तो प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2016 जो भू0 अ0 निरीक्षक जूंजाणी द्वारा दिनांक 23.12.2015 को तैयार की गई है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तैयार की गई मौका रिपोर्ट में धारा '251 ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों आत्यंतिक आवश्कता , वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुतम मार्ग के बिन्दुओ का कोई जांच तथ्य अंकित नही किए गए हैं। साथ ही प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं होना यह जाहिर करता है, कि मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 के अनुसार

> *"69. **Enquiry and disposal of application.-** On receipt of an application …….. …………… The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after*

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is provedmay

allow the application. ……"

इस प्रकार नियम 69 के अनुसार स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक या इससे उपर के अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है, कि अपीलाण्टगण को राजस्व लोक अदालत कैम्प जुंजाणी में उपस्थित होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस हरसनराम से तामिल करवाये गये है लेकिन हरसनराम का अपीलाण्ट से पारिवारिक संबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise " and "settelment". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conffictting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में बिना समस्त पक्षकारो की उपस्थिति एवं सहमति से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/2016 बउनवान नारणा बनाम भमरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 में उल्लेखित आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक 06/10/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर